/

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 620 – काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2011 – 7 वे०प्र० (30) / 2003 दिनांक 05 जुलाई, 2011

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय :- **अवर अभियन्ताओं को 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं० 294–वे०प्र०–30/पाकालि/2006 दिनांक 18.10.2006 एवं स्पष्टीकरण आदेश सं० 53–वे०प्र०–30/पाकालि/2007 दिनांक 23.03.2007, सं० 560–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–7 वे०प्र०–30/03 दिनांक 2८.05.2009, सं० 847–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–7 वे०प्र०–30/03 दिनांक 04.07.2009 एवं आदेश सं० 1166, 1236–काविनी एवं वे०प्र०–29/पाकालि/09–7 वे०प्र०–30/03 दिनांक 08/15.09.2009 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों में तैनात अवर अभियन्ताओं, जो राजस्व वसूली, परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्यों के सुचारूपूर्ण सम्पादन हेतु अपने तैनाती क्षेत्र में निजी वाहन द्वारा भ्रमण करते हैं, को 30 लीटर (तीस लीटर) पेट्रोल के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रत्येक माह उक्त कार्यालय ज्ञाप सं० 294 एवं 847 क्रमशः दिनांकित 18.10.2006 एवं 04.07.2009 तथा जारी स्पष्टीकरण पत्रों में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। सूच्य है कि तत्कालीन परिषदादेश सम्प्रति कारपोरेशन आदेश 1015–पी/राविप–तीस–75पी/86 दिनांक 04.07.89 के अनुसार स्थानीय वहिर्गमन भत्ता स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम अधिकारी बनाये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के प्रत्येक माह 30 लीटर पेट्रोल के मूल्य के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु उपरोक्त कारपोरेशनादेशों में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित अवर अभियन्ता के कार्य एवं प्रकृति के दृष्टिगत उनसे सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

5/7/11

(आर० के० पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव-प्रथम

सं0 620 – (1) काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2011 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः .... 2)

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर0 के0 पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम